हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

तेरहवां सत्र

बुधवार, 18 नवम्बर, 2026/27 कार्तिक, 1948(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. शून्यकाल:

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

4. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे:

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

(1) शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 16);

(2) भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 17);

(3) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 19); और

(4) हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 20)।

5. नियम-67 के अन्तर्गत दिनांक 17.11.2026 को प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रहेगी।

6. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे:

(1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(i) हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 61) की धारा 78 के साथ पठित धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)8/2021-वॉल-I, दिनांक द्वारा 16.07.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 23.07.2026 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 61) की धारा 78 के साथ पठित धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)8/2021-वॉल्यूम-II, दिनांक द्वारा 20.08.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 26.08.2026 को प्रकाशित; और

(iii) हिमाचल प्रदेश लॉटरी (विनियमन) अधिनियम 1998 (1998 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 17) की धारा 12 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: टीएएल-एलओएलएफ 01/14/1/2023-136611-लूज़, दिनांक द्वारा 04.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 04.06.2026 को प्रकाशित।

(2) श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 29 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पीर निगाह मन्दिर, तहसील एवं जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश जोकि अधिसूचना संख्या:एल.सी.डी.-बी (15)-13/2026, दिनांक द्वारा 14.10.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 15.10.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(3) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग (ग्रुप-बी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या:ई.डी.एन-बी-बी (16)-9/2021, दिनांक द्वारा 07.10.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 09.10.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(4) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(5) **श्री यादविन्दर गोमा, आयुष मन्त्री,** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026 तक) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

7. सदन की समिति के प्रतिवेदन:

श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2026-27), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **53वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP)** के अन्तर्गत **जल शक्ति विभाग** द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों/योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **54वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक प्रदेश सरकार तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को आबंटित धनराशि के आय/व्यय के ब्यौरे की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है।

8. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री पवन कुमार काजल,** "हार-जलाड़ी से खर्टी को जोड़ने वाले पुल के निर्माण में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

(2) **श्री राम कुमार,** "मौजा मलपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित TRC (Tourism Reception Centre) को निजी उद्योगपति द्वारा तोड़ने (Dismantle) से उत्पन्न स्थिति बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

9. विधायी कार्य:

<u>सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना</u>

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(2) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(3) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिए अर्हक अनुभव निर्धारित करने हेतु वैधानिक ढांचा उपबंधित करने, विनिर्दिष्ट भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में भूतलक्षी संशोधन करने, विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों एवं पारिणामिक सेवा मामलों की समीक्षा करने, तथा इस अधिनियम के उपबंधों के सुसंगत कतिपय पूर्व कार्रवाईयों एवं कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण करने तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(4)श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में समावेशी, संतुलित, सतत् एवं हरित औद्योगिकीकरण की गति को तीव्र करना, जिसके लिए निवेशकों को उनके द्वार पर सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराना, भूमि बैंक का सृजन एवं प्रबंधन करना, नीतिगत ढांचा तैयार करना, व्यवसाय सुधार संबंधी ढांचे को सुदृढ़ करना, सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना का विकास करना, निवेश योग्य परियोजनाओं के लिए शीघ्र अनुमोदन एवं स्वीकृतियां प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, और उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(5)श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(6)श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(7)श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(8) श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 23)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(9) श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

10. नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा:

श्री रणधीर शर्मा, "प्रदेश को केन्द्र से 16वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त धनराशि में से कुछ हिस्सा जल शक्ति विभाग को देने बारे चर्चा उठायेंगे।"

11. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) **श्री केवल सिंह पठानिया,**
श्री सुरेश कुमार, प्रस्ताव करेंगे कि:

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा BBMB, JSW एवं Wild Flower Hall से सन्दर्भित निर्णयों तथा किशाऊ बांध समझौते से प्रदेश को होने वाले वित्तीय लाभ एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण बारे" यह सदन विचार करे।

(2) **श्री जीत राम कटवाल,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की चरमराती व्यवस्था के सुधार" करने बारे यह सदन विचार करे।

धर्मशाला-176215 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांक: 17 नवम्बर, 2026 **सचिव।**

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)